न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 48/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/297

अपीलाण्ट्स :-	रेस्पोडेण्ट्स :-
स्व. हेमसिंह पुत्र श्री लादुसिंह के कायम मुकाम वारिसान:-	स्व. हरीसिंह पुत्र गुरसिंह के कायम मुकाम वारिसान:-
1. तीजो कंवर पत्नी स्व. हेमसिंह 2. ईश्वरसिंह पुत्र हेमसिंह 3. गणपतसिंह पुत्र हेमसिंह निवासीगण पुराडा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.	1. शैतानसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुत निवासी पुराड़ा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली, राज. 2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, सुमेरपुर

बनाम

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा पुराड़ा के नामान्तरकरण संख्या 147 स्वीकृति दिनांक 29.04.1989 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :- 1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता दिनेश चन्द्र माथुर।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरज प्रकाश व्यास एवं श्री दिनेश प्रजापत।

<u>-:निर्णय:-</u>

दिनांक: 22.08.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा पुराड़ा के नामान्तरकरण संख्या 147 स्वीकृत आदेश दिनांक 29.04.1989 को निरस्त करवाने हेतु** पेश की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपील सब्जेट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई।

राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य अपील मीमों के अनुसार इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण का मौजा पुराड़ा के खसरा संख्या 657 पर कब्जाकाश्त सम्वत् 2019 से लगातार चला रहा है तथा अपीलार्थी के पक्ष में सम्वत् 2043 को पुराना खसरा संख्या 285 मीन लादुसिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह के नाम खरीफ की फसल के तहत खसरा परिवर्तनशील सुमेरपुर तहसीलदार द्वारा दर्ज किया जाकर लगान व जुर्माना जमा किया गया था तथा लगातार कब्जाकाश्त होने से सम्वत् 2040 सन् 1987-88 के दौरान भी खसरा नम्बर पुराना 285 नया 657 की 0.16 हैक्टेयर

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 48/2024
उनवान : स्व. हेमसिंह के का.मु. तीजों कवंर बनाम स्व. हरीसिंह के का.मु. शैतानसिंह व अन्य
अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

भूमि पर कब्जाकाश्त मानकर जुर्माना व लगान जमा किया गया था एवं इसी क्रम में सम्वत् 2045 वर्ष 1988 व 1989 के दौरान खसरा नम्बर 657 पर भवानीसिंह पुत्र लादुसिंह का कब्जा माना गया था। सम्वत् 2019 से लेकर आज तक अपीलार्थीगण का कब्जा होने से काश्त अपीलार्थीगण के द्वारा की जाती रही है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि अपील की विषयवस्तु होने से वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोन्धित किया जायेगा।

यह है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 657 पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा एवं उसकी पड़ौस की भूमि खसरा नम्बर 656 पूर्व खसरा नम्बर 285/मीन/1 की भूमि पर सम्वत् 2045 वर्ष 1988–89 के दौरान खसरा परिवर्तनशील बक्तावरसिंह पुत्र भूरसिंह के नाम दर्ज होना ज्ञात हुआ है। लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का मौके पर कब्जा नहीं होने से उक्त भूमि आवंटन या नियमन किये जाने की श्रेणी योग्य नहीं है। परन्तु स्थानीय पटवारी व राजस्व अधिकारियों से मिलकर उक्त खसरा परिवर्तनशील में एक फर्जी नोट लगाकर हरीसिंह पुत्र भुरसिंह के नाम नियमन फर्जी तरीके से अंकित कर दिया तथा उसकी आड में नामान्तरकरण संख्या 147 ग्राम पुराड़ा दर्ज किया गया जो खसरा नम्बर 656 का दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। लेकिन स्थानीय पटवारी ने फर्जी तरीके से उक्त नामान्तरकरण करते वक्त खसरा संख्या 657 को भी शामिल कर दिया एवं कॉलम संख्या 14 में यह अंकित कर दिया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 हरीसिंह का कब्जा पूर्व 10 वर्ष से अधिक जबकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर हरिसिंह का कतई कब्जा नहीं रहा। उक्त खसरा संख्या में 656 पर वक्त सम्वत् 2045 के खसरा परिवर्तन में 656 में बक्तावरसिंह व 657 भवानीसिंह, लादुसिंह दर्ज है। जिससे साफ जाहिर होता है कि नामान्तरकरण संख्या 147 फर्जी तरीके से बिना वैधानिक आदेश के पटवारी द्वारा भरा जाकर तहसीलदार सुमेरपुर ने बिना आदेश व बिना जांच किये फर्जी पारित कर दिया है। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को मौके पर आज भी कब्जा नहीं है जिससे अपील प्रथमदृष्टया स्वीकार किये जाने योग्य है व नामान्तरकरण संख्या 147 ग्राम पुराड़ा स्वीकृत आदेश दिनांक 29.04.1989 खारिज किये जाने योग्य है।

यह है कि, दिनांक 25.10.2021 को प्रथम बार अपीलार्थीगण को उक्त फर्जी कार्यवाही की जानकारी होने का आभास हुआ जब रेस्पोडेण्ट संख्या 01 शैतानसिंह ने मौके पर अपीलार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश की तब अपीलार्थी गणपतसिंह ने श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपर के समक्ष इस्तगासा अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी आई.पी.सी. के तहत पेश किया। राजस्व रिकॉर्ड राजस्व अधिकारियों के कब्जे में होने से एवं पटवारी व तत्कालीन भू–निरीक्षक व तत्कालीन तहसीलदार रेस्पोडेण्ट शैतानसिंह को बचाने के आशय से राजस्व रिकॉर्ड व नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हो सकी। उक्त प्रकरण में पुलिस ने भी तहरीर देकर रिकॉर्ड मांगा लेकिन राजस्व अधिकारियों ने पुलिस को स्पष्ट उत्तर दिया कि इस प्रकार का कोई आवंटन और नियमन आदेश नहीं हुआ है तथा यह भी अवगत कराया कि वर्ष 1988–89 में जब हरिसिंह का मौके पर कब्जा हीं नहीं है तो उसे आवंटन या नियमन किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राजस्व रिकॉर्ड में फर्जी तरीके से इन्द्राज किया गया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य होने से उक्त अपील में उक्त आदेश शून्य होने से म्याद बाबत कोई बाधा नहीं है। अपीलार्थी ने दिनांक 05.05.2022 को तहसील सुमेरपुर में नामान्तरकरण संख्या 147, 143, 29 प्राप्त करने के लिये आवेदन पेश किया जिसकी नकलें दिनांक 06.05.2022 को मिली इसलिए अपील अन्दर म्याद मानी जाए। अतः अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 147 ग्राम पुराड़ा स्वीकृ आदेश दिनांक 29.04.1989 तहसीलदार सुमेरपुर खसरा संख्या 657 ग्राम पुराड़ा खारिज फरमाई जाए।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि :–

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 48/2024

उनवान : स्व. हेमसिंह के का.मु. तीजों कवंर बनाम स्व. हरीसिंह के का.मु. शैतानसिंह व अन्य

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. पद संख्या 01 व 02 में वर्णित तमाम कथन गलत व झूठे है। यह कहना गलत है कि अपीलार्थीगण का ग्राम पुराड़ा के खसरा नम्बर 657 पर कब्जा काश्त सम्वत् 2019 से लगातार चला आ रहा है, यह कहना भी गलत है कि उपरोक्त भूमि पर स्व. हरिसिंह व उसकी मृत्यू के बाद शैतानसिंह का कब्जा काश्त नही हो। जबकि उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थी के पिता स्व. हरिसिंह जी का तथा उनकी मृत्यु के बाद शैतानसिंह का ही कब्जा काश्त है, तथा नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में हरिसिंह का 10 वर्ष पुराना कब्जा होना दर्ज है। अपीलार्थी ने गलत व झूठे कथन दर्ज कर अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किये है, जो खारिज योग्य है। भूमि पर 30–40 वर्षों से हरिसिंह व शैतानसिंह का होने से तहसीलदार व पटवारी द्वारा जांच कर मौके पर कब्जा काश्त होने से हरीसिंह का कब्जा काश्त होना दर्ज किया है, जो सही है।
2. पद संख्या 03 में वर्णित कथन गलत है। जब भूमि पर हरिसिंह व शैतानसिंह का ही कब्जा काश्त है तथा भूमि का उपयोग उपभोग वे ही करते आ रहे है तो शैतानसिंह द्वारा भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलार्थी ने गलत व झुठी पुलिस कार्यवाही की है, जिसमें अपीलार्थी गलत व झूठा पाया है। शूरु से ही उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त हरीसिंह का रहा है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुआ है। अपीलार्थी ने गलत व झूठे तथ्य दर्ज कर अप्रार्थी को जानबूझकर परेशान करने की मंशा रखता है ताकि अप्रार्थी जमीन को छोडकर चला जाए तथा अपीलार्थी जमीन पर कब्जा कर सके। अप्रार्थी ने म्याद बाहर अपील पेश की है, जो पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।
3. पद संख्या चार में वर्णित कथन गलत व झूठे है। मौके पर अप्रार्थी शैतानसिंह व उसके पिता का कब्जा काश्त था तथा रिकॉर्ड में नाम दर्ज था। अप्रार्थी ने गलत व झूठी कार्यवाही की है, इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में है, ना कि अपीलार्थी के पक्ष में। बिना वादकारण पैदा हुए ही अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है। आज भी मौके पर शैतानसिंह का कब्जा काश्त है तथा शैतानसिंह ही निर्बाद रुप से भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। इस कारण मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाना न्यायोचित नहीं है, अगर रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया जाता है तथा रखी जाती है तो अप्रार्थी अपने हक हकूक व वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाएगा, जिससे उसे अपूर्णीय क्षति होगी। अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र सव्यय काबिल खारिज के है।
4. पद संख्या पांच कानूनी है।
5. यह है कि पद संख्या छः का जवाब है कि जब अन्य उजरात अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र में पेश ही नहीं किये है तो बहस के समय अन्य उजरात उठाने व बहस के समय अर्ज किये जाने का अधिकार अपीलार्थी को नही है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाए।

प्रकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली द्वारा अपील का प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का विनिश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम पुराड़ा के खसरा संख्या 657 पर अप्रार्थी एवं स्वर्गीय हरीसिंह का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 147 के द्वारा खसरा संख्या 656 एवं 657 में अप्रार्थी के पिता स्वर्गीय श्री हरिसिंह को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया एवं कब्जाकाश्त के अभाव में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। उक्त भूमि पर सम्वत् 2019 से ही अपीलार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 48/2024
उनवान : स्व. हेमसिंह के का.मु. तीजों कवंर बनाम स्व. हरीसिंह के का.मु. शैतानसिंह व अन्य
अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

का ही कब्जाकाश्त है। वक़्त नामान्तरकरण विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 657 पर उक्त स्वर्गीय श्री हरिसिंह का कब्जा काश्त नहीं था, जिसके प्रमाणस्वरुप खसरा परिवर्तनशील संवत् 2044 एवं संवत् 2045 पत्रावली के सलंग्न है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान यह भी जाहिर किया कि वस्तुतः विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 657 अप्रार्थीपक्ष को कभी आवंटित या नियमन नहीं की गई थी, अपितु तत्कालीन पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा फर्जी एवं कूटरचित ढंग से नियमन का इन्द्राज किया गया। यह भी कि हस्तगत अपील को म्यादशुमार घोषित करते हुए आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 29.04.1989 को खसरा संख्या 657 ग्राम पुराड़ा के सम्बन्ध में अपास्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी पर शुरु से ही अप्रार्थीपक्ष का ही कब्जाकाश्त है एवं उनके द्वारा ही उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। अपीलार्थी ने गलत व झूठे कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। यह भी, कि अपीलाण्ट द्वारा म्याद बाहर अपील पेश की है जो पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा अपील मीमो, पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित दस्तावेजों तथा प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील के गुणावगुण आधार पर निर्णय करने से पूर्व मियाद के प्रश्न का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को प्रश्नगत कार्यवाही का सर्वप्रथम आभास दिनांक 25.10.2021 को तथा जानकारी दिनांक 05.05.2022 को दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर हुई। यह भी, कि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीपक्ष के इन्द्राज प्रारम्भतः ही शून्य व अवैध होने से म्याद बाबत् कोई बाधा नहीं है, फिर भी सलंग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार करते हुए देरी का उपशमन करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीपक्ष द्वारा जवाबपत्र के पैराग्राफ संख्या दो में हस्तगत अपील को म्याद बाधित एवं अपोषणीय बताते हुए इसे खारिज करने का अंकन किया गया है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मियाद प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट द्वारा अंकित तिथियों के खण्डन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो उक्त प्रार्थना पत्र धारा 05 में अंकित तथ्यों के प्रतिकूल उपधारणा करने में सहायक हो। अतः अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने तथा प्रकरण में विधि एवं तथ्यों का सारभूत प्रश्न अन्तर्निहित होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए विचाराधीन अपील मियाद शुमार घोषित करते हुए इसे गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

हस्तगत नामान्तरकरण अपील का मज़मून यह है कि ग्राम पुराड़ा के नामान्तरकरण संख्या 147 स्वीकृति दिनांक 29.04.1989 के द्वारा ग्राम पुराड़ा के खसरा संख्या 656 एवं 657 में श्री हरिसिंह वल्द भूरसिंह को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण परत के कॉलम संख्या 14 में हल्का पटवारी द्वारा यह टिप्पणी अंकित है कि "नियमन को 10 वर्ष पूर्ण होने से व आरक्षित मूल्य पूर्ण जमा होने से गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण भरा गया।" साथ ही कॉलम संख्या 7 में नियमन दिनांक 24.12.78 अंकित है।

अपीलाण्ट ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 147 के विरुद्ध मुख्यतः इस आधार पर चुनौति प्रस्तुत की है कि खसरा संख्या 657 पर अप्रार्थीपक्ष का न तो कभी कब्जा एवं काश्त रहा है और न ही उक्त खसरे की भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमन हुआ है। खसरा संख्या 657 की उक्त भूमि संवत् 2019 से ही प्रार्थीपक्ष द्वारा काश्त एवं उपयोग–उपभोग की जा रही है।

आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 147 के द्वारा खसरा संख्या 656 एवं 657 में अप्रार्थी के पिता श्री हरीसिंह को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए तथा उक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 48/2024

उनवान : स्व. हेमसिंह के का.मु. तीजों कवंर बनाम स्व. हरीसिंह के का.मु. शैतानसिंह व अन्य

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

नामान्तरकरण दिनांक 29.04.1989 को अर्थात् संवत् 2046 में स्वीकृत किया गया। किन्तु पत्रावली में उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील संवत् 2044 खरीफ (वर्ष 1987–88) में उक्त भूमि पर स्वर्गीय श्री हरिसिंह के स्थान पर श्री लादुसिंह का कब्जा होना अंकित है। इसी प्रकार खसरा परिवर्तनशील संवत् 2045 खरीफ (वर्ष 1988–89) में भी खसरा संख्या 657 पर अप्रार्थी स्व. हरीसिंह की बजाए भवानीसिंह पुत्र श्री लादुसिंह का कब्जा होना स्पष्टतया अंकित है। खसरा परिवर्तनशील संवत् 2045 में अन्य सभी खसरों की भूमि के आगे कॉलम संख्या 16 में आवंटनशुदा तथा नामान्तरकरणों का विवरण अंकित है, किन्तु विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 657 के सम्बन्ध में आवंटन/नियमन अथवा नामान्तरकरण का कोई नोट अंकित नहीं है। खसरा परिवर्तनशील संवत् 2044 एवं 2045 के अवलोकन से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि विवादग्रस्त कृषि आराजी खसरा संख्या 657 पर वर्ष 1987 एवं 1988 में स्वर्गीय हरीसिंह (अप्रार्थीपक्ष) का कब्जाकाश्त नहीं था। जबकि वर्ष 1989 में आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 147 के द्वारा उक्त खसरा संख्या 657 में स्वर्गीय हरीसिंह को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गए। वर्ष 1987 एवं 1988 में उक्त भूमि पर स्वर्गीय हरीसिंह के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा होना दस्तावेजो से प्रमाणित था, और बिना कब्जे काश्त के ही अगले वर्ष 1989 में स्वर्गीय हरीसिंह को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए गए।

अप्रार्थीपक्ष द्वारा अपने जवाबपत्र में विवादित आराजी पर प्रारम्भ से ही अपना कब्जाकाश्त होने का अंकन अवश्य किया है किन्तु कब्जे की पुष्टि हेतु कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे है। राजस्व विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आवंटनशुदा/कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने से पूर्व यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है अथवा नहीं, अर्थात् आवंटी का कब्जाकाश्त होना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध करने में सफल रहे हैं कि मौजा पुराड़ा के खसरा संख्या 657 की भूमि में स्वर्गीय हरीसिंह को खातेदारी अधिकार प्रदान करने से ठीक पूर्व उक्त भूमि पर उनका कब्जाकाश्त नहीं था।

आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 147 के कॉलम संख्या 7 में नियमन दिनांक 24.12.1978 अंकित है और अपीलार्थीगण द्वारा अपील मीमों के पैराग्राफ संख्या 3 में ऐसे किसी आवंटन या नियमन को फर्जी व कूटरचित बताते हुए यह अंकित किया है कि आवंटन या नियमन आदेश नहीं हुआ है। अप्रार्थी द्वारा भी, इसके प्रत्युतर में, खसरा संख्या 657 के सम्बन्ध में ऐसा कोई नियमन आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 147 में दर्ज कृषि भूमि का अप्रार्थीपक्ष को नियमन हुआ था अथवा नहीं, इस प्रश्न के निर्धारण हेतु पत्रावली में पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर कोई स्पष्ट अभिमत दिया जा सके। किन्तु दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह अवश्य प्रमाणित है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 657 मौजा पुराड़ा पर कब्जाकाश्त न होते हुए भी जरिए आलोच्य नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या एक के पिता को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए, जो वैधानिक रुप से अनुमत नहीं है। तत्समय, नामान्तरकरण स्वीकृतकर्ता तहसीलदार सुमेरपुर से यह अपेक्षित था कि कब्जाकाश्त के अभाव में पटवारी हल्का द्वारा दर्ज आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 147 को अस्वीकार करते तथा तथाकथित नियमन/आवंटन के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए उक्त भूमि पुनः राजकीय खाते में सिवायचक भूमि के रुप में दर्ज करने की कार्यवाही प्रभाव में लाते। किन्तु इसके विपरित, पटवारी द्वारा दर्ज आलोच्य नामान्तरकरण 147 को दिनांक 29.04.1989 को स्वीकृत कर तहसीलदार द्वारा कानूनी व वाक्याती भूल कारित की गई है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाती है तथा मौजा पुराड़ा के खसरा संख्या 657 रकबा 0.1600 हैक्टेयर की हद तक नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 29.04.1989 को अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को पुनः प्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि आलोच्य नामान्तरकरण में दर्ज भूमि के नियमन/आवंटन के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच करें

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 48/2024

उनवान : स्व. हेमसिंह के का.मु. तीजों कवंर बनाम स्व. हरीसिंह के का.मु. शैतानसिंह व अन्य

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तथा कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड की छानबीन तथा उभयपक्षों को दस्तावेज प्रस्तुतिकरण का अवसर प्रदान करने के उपरान्त यदि उक्त भूमि के सम्बन्ध में वैध नियमन/आवंटन आदेश जारी होना सिद्ध नहीं हो, तो उक्त भूमि को पुनः राजकीय खाते में सिवायचक भूमि दर्ज करने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित करें। यदि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 147 में दर्ज विवादग्रस्त भूमि का स्वर्गीय हरीसिंह के पक्ष में नियमन/आवंटन होना उपरोक्तानुसार जांच में सिद्ध पाया जाए, तो तहसीलदार सुमेरपुर दोनों पक्षों को सुनकर तथा अप्रार्थीपक्ष के कब्जाकाश्त व उपभोग इत्यादि के सम्बन्ध में सम्यक् जाँच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

तहसीलदार सुमेरपुर निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर उपरोक्त निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करेंगे।

निर्णय आज दिनांक **22.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner